

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

11/125

वास्ते क्र. 23/12/25
को पेश है।
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

1/12/25

पत्रा. पेश हुई / अधिवक्तागण
को पेश है।
दिनांक 19/11/25

19/1/26

पत्रा. पेश हुई / अधिवक्तागण
को पेश है।
दिनांक 18/1/26

18/2/26

वास्ते क्र. 23/2/26 को पेश है।
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

23/2/26

पत्रा. पेश। वास्ते आदेश 23/3/26
को पेश है।

che
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

23/3/26

पत्रा पेश।
ग्रह बाद वादिनी मधुदेवी द्वारा RTA
की धारा 88, 89 & 188 के अंतर्गत
प्रस्तुत किया गया है जिसमें ग्रह
प्रार्थना की गई है कि वादिनी
को इसका संख्या 424/29 एवं 28
मात्र धारपुरा पत्वार हलका

che
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इमिडियेट्स जज	नम्बर अहमदाबाद हुकम में
	<p> वडोदिया कला तहसील रामगंजमेंडी में प्रत्विदी गजानंद के स्थान पर धारदारि अधिकार घोषित किया जाए। </p> <p> संबंध में वादिनी का कथन है कि उसने पूर्व खसरा 15 एवं 16 में से गजानंद के $\frac{1}{10}$ अंश का विविध पंजीकृत विक्रय पत्र विलेख द्वारा क्रय किया था। बाद में बंदीबस्त के दौरान खसरा संख्या 15 का नवीन क्रमांक 29 (खसरा 8.12 हेक्टेयर) हुआ तथा उसके विभाजन से खसरा संख्या 424/29 (खसरा 0.62 हेक्टेयर) निर्मित हुआ, जिसमें वर्तमान में गजानंद एवं यमनाल का $\frac{1}{2} - \frac{1}{2}$ अंश दर्ज है। इसी प्रकार पूर्व खसरा संख्या 16 का नवीन क्रमांक 28 (खसरा 0.99 हेक्टेयर) हुआ, जिसमें गजानंद का $\frac{1}{10}$ अंश दर्ज है। </p> <p> अमिलेधीय श्राव्य विक्रय विलेख, धा जमाबंदी प्रतिलिपि, से यह प्रमाणित होता है कि वादिनी द्वारा </p>	

उपखण्ड अधिकारी
 रामगंजमेंडी

तारीख हुपम	हुपम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुपम की तामील में जारी हुए
---------------	-----------------------------------	---

पूर्व प्रसरा सं. 15 से क्रय किया गया 1/10 अंश पूर्णतः वर्तमान प्रसरा सं. 424/29 में ही समाहित हो गया है तथा उक्त क्रयित अंश का कोई भाग अन्य प्रसरा में शेष नहीं है। अतः वर्तमान प्रसरा सं. 424/29 में गजानंद का जो 1/2 अंश दर्ज है वह वस्तुतः वादिनी के क्रयित अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है।

इसी प्रकार पूर्व प्रसरा सं. 16 से संबंधित वादिनी का क्रयित अंश वर्तमान प्रसरा संख्या 28 में परिचलित है, जिसमें गजानंद का 1/10 अंश दर्ज है।

अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि राजस्व अभिलेखों में वादिनी के अधिकार का सुमचित परिचलक्षण नहीं हुआ है, जिसे संशोधित किया जाना आवश्यक है।

आदेशित किया जाता है कि -

1. वादिनी मुख्यदेवी को प्रसरा संख्या 424/29 टकावा 0.62

[Signature]
 सप्लाइड अधिकारी
 रामगंजमण्डी

तारीख
हुकम

हुकम वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर
अंश
हुकम
के

द्वैतद्वय ग्राम धारुपुरा तहसील
रामगंजमंडी में गजानंद के समस्त
 $\frac{1}{2}$ अंश के स्थान पर खातदार
घोषित किया जाता है।

2. वादिनी मधुदेवी को प्रसरा सं.
28 रमबा 0.99 दिसंबर ^{ग्राम धारुपुरा तहसील} में ^{रामगंजमंडी}
गजानंद के $\frac{1}{10}$ अंश के स्थान
पर खातदार घोषित किया जाता है।

3. TDR रामगंजमंडी को निर्दिष्ट
किया जाता है कि संबंधित
राजस्व अकिलेयों में आवश्यक
संशोधन कर वादिनी का नाम
उपर्युक्त अंशों में दर्ज किया
जाए।

निर्णय आज दिनांक 27/03/20 को
सुनाया गया।

प्रबली फंसल सुमार दोकर घोषित
दफ्तर है।

Che

उपरोक्त अधिकारी
रामगंजमंडी

